[2023] 3 S.C.R. 332

निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य

बनाम

सी.पी. मुंडिनामणि और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक **2471/2023**)

11 अप्रैल 2023

[न्यायमूर्ति एम.आर. शाह एवं न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार]

कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम, **1997-** विनियम **40(1)**- विनियम **40(1)** के अनुसार वेतनवृद्धि अर्जित किए जाने की दिनांक के अगले दिन प्रोदभूत होती है- अपीलार्थी - केटीसीएल ने प्रत्यर्थीगण- संबंधित कर्मचारीगण को इस आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि से इंकार कर दिया कि जिस दिन वेतनवृद्धि प्रोदभूत हुई, प्रत्यर्थीगण सेवा में नहीं थे- क्या कोई कर्मचारी जिसने वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह वेतन वेतनवृद्धि अर्जित करने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, उसका हकदार है - अभिनिर्धारित: केवल इसलिए कि, शासकीय सेवक अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, उसे उस वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित नही किया जा सकता है जो उसने अर्जित की है- इस मामले में ''प्रोदभूत'' शब्द को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ अगले दिन देय होने से होगा- कोई भी विपरीत दृष्टिकोण मनमानापन और अ-युक्तियुक्ता को बढ़ावा देगा और यह एक शासकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए अर्जित वैध वार्षिक वेतनवृद्धि, जो उसने अच्छे व्यवहार और कुशलता से एक वर्ष से अधिक समय तक दी गई सेवाओं के लिए अर्जित की है, से इंकार करने के समान होगा और इसलिए, ऐसी संकीर्ण व्याख्या से बचा जाना चाहिए था ।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:1. अपीलार्थीगण की ओर से दी गयी दलील कि चूंकि वेतनवृद्धि अर्जित होने के अगले दिन ही प्रोदभूत होती है एवं इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां किसी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व वेतनवृद्धि अर्जित की है, लेकिन वह उस दिन सेवा में नहीं है जिस दिन वेतनवृद्धि प्रोदभूत हुई के संबंध में उपरोक्त बिंदु पर विचार हेतु वार्षिक वेतनवृद्धि देने के उददेश्य और प्रयोजन पर विचार करना आवश्यक है । एक शासकीय सेवक को एक वर्ष की सेवा के

दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है । अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है जब तक कि ऐसी वेतनवृद्धि को सजा के तौर पर या कार्यक्षमता से संबंध रोका न जाए । इसलिए, एक वर्ष/विनिर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा देने पर वेतनवृद्धि अर्जित होती है । इसलिए, जिस क्षण एक शासकीय सेवक ने एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक अच्छे आचरण के साथ सेवा दी है, एक समयमान में, वह वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार है और यह कहा जा सकता है कि उसने अच्छे आचरण के साथ विनिर्दिष्ट अवधि की सेवा देने के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है । इस प्रकार, वह कुशतापूर्वक अच्छे आचरण के साथ एक विनिर्दिष्ट अवधि (एक वर्ष) के लिए सेवा करने की संभावित स्थिति में वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ पाने का हकदार है । केवल इसलिए कि, शासकीय सेवक अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, उसे वार्षिक वेतनवृद्धि से कैसे वंचित किया जा सकता है जो उसने पिछले एक वर्ष में अच्छे आचरण और कुशलतापूर्वक सेवा करने के लिए अर्जित की है और/या वह उसका हकदार है ।

[कंडिका 6.5]

2. विनियम के विनियम **40(1)** का निर्वचन उस रूप में करना जैसा अपीलार्थीगण द्वारा समझा और/ या निर्वचित किया गया है, मनमाना होगा और एक शासकीय सेवक को वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ से, जो उसने पूर्व के वर्ष में निर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण और कुशलता से सेवा के लिए अर्जित कर लिया है, वंचित कर दिया जाएगा । यह किसी व्यक्ति को बिना उसके किसी दोष के दंडित करने जैसा होगा । जैसा कि ऊपर संप्रेक्षित किया गया है, वेतन वृद्धि केवल दंड के माध्यम से या उसके द्वारा कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न किए जाने पर रोकी जा सकती है । ऐसे किसी भी निर्वचन से बचना चाहिए जो मनमानेपन और/ या अ-युक्तियुक्ता को बढावा दे । यदि अपीलार्थीगण की ओर से सुझाई गई व्याख्या और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, जो उस स्थिति में यह एक शासकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए अर्जित वैध वार्षिक वेतन वृद्धि से, जो उसने अच्छे व्यवहार के चलते एक वर्ष से अधिक समय तक दी गई सेवाओं के लिए अर्जित की से वंचित करने के समान होगा । वेतन वृद्धि प्राप्त करने की पात्रता तब स्पष्ट हो जाती है जब शासकीय कर्मचारी अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित सेवा अवधि पूर्ण कर लेता है और अगले दिन वेतन वृद्धि देय

हो जाती है । इस मामले में "प्रोदभूत " शब्द को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ अगले दिन प्रोदभूत होने से होगा । कोई भी विपरीत दृष्टिकोण मनमानेपन और अ-युक्तियुक्तता को बढ़ावा देगा यह एक शासकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता जो उसने अच्छे व्यवहार और कुशलता से एक वर्ष से वृद्धि अधिक समय तक दी गई सेवाओं के लिए अर्जित की, से इंकार करने के समान होगा, इसलिए, ऐसी संकीर्ण व्याख्या से बचा जाना चाहिए ।

[कंडिका 6.7]

पी. अययम्पेरूमल बनाम रजिस्टार और अन्य **रिट याचिका क्रमांक 15732/2017 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2017** को निर्णीत; गोपाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **रिट याचिका (सी) क्रमांक 10509/2019 दिल्ली उच्च न्यायालय** द्वारा दिनांक 23.01.2020 को निर्णीत ; नंद विजय सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **रिट अपील क्रमांक 13299/2020 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2021** को निर्णीत; योगेन्द्र सिंह भदौरिया और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय); एएफआर अरूण कुमार बिस्वाल बनाम ओडिशा राज्य और अन्य **रिट याचिका क्रमांक 17715/2020 उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2021** को निर्णीत; गुजरात राज्य बनाम तख्तसिंह उदेसिंह सोनगरा लेटर पेटेंट **अपील क्रमांक 868/2021- (गुजरात उच्च न्यायालय) अनुमोदित**

प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, आंध्र प्रदेश और एक अन्य बनाम सी. सुब्बाराव **2005 (2) एलएलएन 592; भारत संघ बनाम पवित्रन ओ.पी. (कैट) क्रमांक 111/2020 केरल उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2022** को निर्णीत; हरि प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य **(सीडब्ल्यूपी क्रमांक 2503/2016 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2020 को निर्णय - अस्वीकृत**

भारत संघ और अन्य बनाम आर.मालाकोडैया और अन्य. **2002 (4) एएलटी 550 (डी.बी)- संदर्भित ।**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील क्रम 2471/ 2023

रिट अपील क्रमांक 4193/2017 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरू द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.01.2020. से

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता, हुजेफा अहमदी, एस.के. कुलकर्णी ,एम. गिरीश कुमार, अंकुर, एस.कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती अधिवक्तागण ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता एम/एस बांनिदिंनी एंड कंपनी मल्किार्जुन, एस. माइलर, मंजूनाथ, अशोक बांनिदिंनी, सुजीत कुमार अधिवक्तागण

न्यायमूर्ति **एम.आर. शाह** द्वारा निर्णय दिया गया ।

1.यह अपील प्रबधंन- केपीटीसीएल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलूरू द्वारा रिट अपील क्रमांक 4193/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की युगल-पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को रदद् किया, और प्रत्यर्थीगण को एक वार्षिक वेतन वृद्धि, जो प्रत्यर्थीगण ने उनकी अधिवार्षिकी प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अर्जित की थी, प्रदान किए जाने का निर्देश अपीलार्थीगण को देते हुए कर्मचारीगण- प्रत्यर्थीगण, द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार किया ।

2.अविवादित तथ्य यह है कि सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले और सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सभी कर्मचारीगण ने एक वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की । हालॉकि, कर्नाटक वियुत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम 1997 (एतस्मिनपश्चात विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 40(1) जो यह प्रावधान करता है कि जिस दिन वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन से वेतनवृद्धि प्रोदभूत होगी, को विचार में लेते हुए अपीलार्थीगण द्वारा वेतन वृद्धि इस आधार पर नहीं दी गई कि जिस दिन वेतन वृद्धि प्रोदभूत हुई उस दिन संबंधित कर्मचारीगण- मूल रिट याचिकाकर्ता सेवा में नहीं थे । वार्षिक वेतनवृद्धि का दावा करने वाले मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दी । आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के **भारत संघ और अन्य बनाम आर.मालाकौडैया और अन्य,** 2002 (4) ए.एल.टी. 550 (डी.बी.) के मामले में दिए गए विनिश्चय

के अनुसरण में अन्य और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अवलम्ब लेते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण को संबंधित कर्मचारियों- प्रत्यर्थीगण को एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने का निर्देश यह देखते हुए दिया कि संबंधित कर्मचारियों ने वेतनवृद्धि अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष में दी गयी सेवा के लिए अर्जित की है ।

2.1 उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रबंधन- केपीटीसीएल ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हूजेफा अहमदी और संबंधित कर्मचारियों- प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्ववान अधिवक्ता श्री मल्लिकार्जुन एस. मायलर उपस्थित हुए ।

3.1 अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोर देकर तर्क रखा है कि **आर. मालाकौंडैया (उपरोक्त)** के मामलें में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का विनिश्चय; जिसका अवलम्ब उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय लिया था, बाद में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **प्रिंसिपल अकांउटेंट जनरल, आंध्रप्रदेश और एक अन्य बनाम सी.सुब्बाराव 2005** (2) एलएलएन 592 के मामले में खारिज कर दिया गया है ।

3.2 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग मत है । यह दलील प्रस्तुत की गई है कि मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ, केरल उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से विपरीत मत व्यक्त किया है । यह दलील दी गई है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मद्रास उच्च न्यायालय के प्रकरण **पी. अययम्पेरूमल बनाम रजिस्ट्रार और अन्य (रिट याचिका क्रमांक 15732/2017 निर्णय दिनांक 15.09.2017)** के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण अपनाते हुए विपरीत मत व्यक्त किया है।

3.3 गुण-दोष के आधार पर, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने जोर देकर यह दलील रखी है कि विनियमों के विनियम 40 (1) में प्रयुक्त शब्द बहुत स्पष्ट

और असंदिग्ध है। यह दलील दी गई है कि यह उपबंध स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि वार्षिक वृद्धि अर्जित किए जाने के अगले दिन से प्रोदभूत होती है। यह दलील प्रस्तुत की गई कि जब वेतनवृद्धि पाने का अधिकार प्रोदभूत होता है उस समय कमर्चारी को सेवा में होना चाहिए। यह दलील प्रस्तुत की गई कि वर्तमान मामले में जब वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार संबंधित प्रत्यर्थीगण के पक्ष में प्रोभद्भूत हुआ है, तब वे सेवा में नहीं थे, अपितु अपनी अधिवाषिर्की पर सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे। यह दलील दी गई, कि इसीलिए, वे उस वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे जो एक दिन पूर्व अर्थात उनकी सेवा के अंतिम दिन अर्जित की गई हो ।

3.4 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी द्वारा आगे यह दलील दी गई कि वार्षिक वेतन वृद्धि एक अच्छी सेवा का एक प्रोत्साहन के रूप में है ताकि, संबंधित कर्मचारी प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और अच्छी सेवाएं प्रदान कर सके। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसीलिए, जब संबंधित कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं है, तो उसे किसी भी वार्षिक वेतन वृद्धि, जो प्रोत्साहन के रूप में कर्मचारी को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न् नहीं होता है ।

3.5 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अहमदी ने शब्द "प्रोदभूत" और शब्द "वृद्वि" की लॉ लेक्सिकॉन (एन्साइक्लोपीडिया लॉ डिक्शनरी) में दी गई परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया । यह दलील दी गई है कि लॉ लेक्सिकॉन के अनुसार, "वृद्वि" का अर्थ मात्रा या मूल्य में एक वृद्वि से है। इसका अर्थ निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड में पदोन्नति है। परिभाषा के अनुसार "वृद्वि" का अर्थ किसी विषय/वस्तु में उपर की ओर परिवर्तन है । यह प्रस्तुत किया गया है लॉ लेक्सिकॉन के अनुसार "प्रोदभूत" शब्द का अर्थ एक प्रवर्तनीय दावे या अधिकार के रूप में अस्तित्व में आना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसीलिए, विनियम 40 (1) की सही व्याख्या पर, वेतन वृद्वि उस दिन के अगले दिन से प्रोदभूत होती है, जिस दिन इसे अर्जित किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि इसीलिए, उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने तात्विक त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसीलिए, उच्च न्यायालय की युगलपीठ और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कि संबंधित कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले अर्जित एक वार्षिक वेतन वृद्वि के लाभ

के हकदार होंगे, त्रुटिपूर्ण है और सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के गलत निर्वचन पर आधारित है। उपरोक्त तर्क् देते हुए, इस अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

4.संबंधित कर्मचारियों- प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **पी. अययमपेरूमल (उपरोक्त)** के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और गुजरात उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर अत्यधिक भरोसा व्यक्त किया है जिनमें मत दिया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा प्रदान करके वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित की थी, उन्हें वास्तव में अर्जित की गई वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से केवल इस आधार पर कि वे ठीक अगले ही दिन अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त हुए थे, वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसीलिए, उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने संबंधित कर्मचारियों के पक्ष में एक वार्षिक वेतन वृद्धि, जो उन्होंने वास्तव में अर्जित की थी, प्रदान करने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है।

4.1 उपरोक्त दलील देते हुए, इस अपील को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. हमारे द्वारा संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणों को सुना गया।

6. इस न्यायालय के विचार हेतु जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न है, वह यह है कि क्या कोई कर्मचारी जिसने वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह वेतनवृद्धि अर्जित करने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, उसका हकदार है ?

6.1 इस मामले में, सुसंगत प्रावधान विनियम का विनियम 40(1) है जो निम्नानुसार है :-

"वेतनवृद्धि का आहरण एवं स्थगन"

> 40(1) वेतनवृद्धि, उसे अर्जित किए जाने के अगले दिन से प्रोदभूत होती है । जो वेतनवृद्धि अर्जित की गयी है वह सामान्यत: अनिवार्यत: आहरित की जायेगी जब तक कि उसे रोक न दिया जाए। यदि किसी कर्मचारी का आचरण अच्छा नहीं रहा है या उसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है। वेतनवृद्धि को रोकने के किसी आदेश में, रोकने वाले प्राधिकारी को उस

अवधि का उल्लेख करना होगा जिसके लिए इसे रोका गया है और क्या स्थगन का प्रभाव आगामी वेतनवृद्धि को स्थगित करने पर पड़ेगा।

6.2 अपीलार्थीगण की ओर से प्रकरण यह है कि विनियम 40(1) में प्रयुक्त शब्द यह है कि जिस दिन वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन से वेतनवृद्धि प्रोदभूत होती है और इस मामले में वेतनवृद्धि उस दिन प्रोदभूत हुई जिस दिन वे सेवानिवृत्त थे, इसीलिए उस दिन सेवा में नहीं थे इस कारण वे वार्षिक वेतनवृद्धि- जो उन्होंने एक दिन पहले अर्जित की थी, के हकदार नहीं है। अपीलार्थीगण की ओर से यह भी प्रकरण है कि चूँकि वेतनवृद्धि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है और इसीलिए जब कर्मचारी सेवा में नहीं है तो वार्षिक वेतनवृद्धि, जो एक प्रोत्साहन के रूप में देय होती है, दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

6.3 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अलग-अलग मत प्रकट किए है। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने एक विपरीत दृष्टिकोण और अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दृष्टिकोण को अपनाया है। दूसरी ओर, **पी, अययम्पेरूमल (उपरोक्त)** के मामले में मद्रास उच्च न्यायलाय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **गोपाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका(सी) क्रमांक 10509/2019 दिनांक 23.01.2020** को निर्णीत) के मामले में; इलाहबाद उच्च न्यायालय ने **नंदविजय सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (रिट अपील क्रमांक 13299/2020 दिनांक 29.06.2021 को निर्णीत)** के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने **योगेन्द्र सिंह भदौरिया और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य** के मामले में; उडीसा उच्च न्यायालय ने **अरूण कुमार विस्वाल बनाम उडीसा राज्य और अन्य (रिट याचिका क्रमांक 17715/2020 दिनांक 30.07.2021 को निर्णीत)** के एएफआर मामले में; और **गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम तख्तसिंह उदेसिंह सोनगरा (लेटर पेटेंट अपील क्रमांक 868/2021)** के मामले में, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा व्यक्त मत से भिन्न मत लिया है और यह मत व्यक्त किया है कि जब किसी कर्मचारी ने एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतनवृद्धि अर्जित कर ली है तब उसे अधिवार्षिकी प्राप्त करने पर अगले ही दिन सेवानिवृति होने पर ऐसी वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

6.4 जहां तक कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दलील कि वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोत्साहन के रूप में होती है तथा कर्मचारीगण को अच्छी कार्यशैली हेतु प्रोत्साहित करने के लिए होती है और इसीलिए जब वह सेवा में नहीं रहता है तो वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता में कोई बल नहीं है। किसी मामले में यह भी हो सकता है कि कर्मचारी जिसने अपनी अधिवार्षिकी से 3 दिन पहले वेतनवृद्धि अर्जित की है, विनियम 40(1) के अनुसार वेतनवृद्धि प्रोदभूत अगले दिन होती है, इस स्थिति में भी कर्मचारी की पश्चात की सेवा अवधि 1 वर्ष की नहीं रह जायेगी इसीलिए यह उल्लेखनीय है कि वेतनवृद्धि 1 वर्ष पूर्व दी गयी सेवाओं के लिए समयमान में अर्जित होती है। अतः उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6.5 अब, जहां तक अपीलार्थीगण की ओर से दी गयी दलील कि वेतनवृद्धि अर्जित होने के अगले दिन ही प्रोदभूत होती है एवं इसीलिए, ऐसे मामले मे भी जहां किसी कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व वेतनवृद्धि अर्जित की है, लेकिन वह उस दिन सेवा में नहीं है जिस दिन वेतनवृद्धि प्रोदभूत हुई का संबंध है, उपरोक्त बिंदु पर विचार करने हेतु, वार्षिक वेतनवृद्धि देने के उददेश्य और प्रयोजन पर विचार करना आवश्यक हैा एक शासकीय सेवक को एक वर्ष की सेवा के दौरान एक अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है जब तक कि ऐसी वेतनवृद्धि को सजा के तौर पर या इसे कार्यक्षमता से संबद्ध कारण से रोका न जाए। इसीलिए, एक वर्ष/विनिर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण के साथ सेवा देने पर वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है। इसीलिए जिस क्षण एक शासकीय सेवक ने एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अच्छे आचरण के साथ सेवा दी है, एक समयमान में, वह वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार होता है और यह कहा जा सकता है कि उसने अच्छे आचरण के साथ विनिर्दिष्ट अवधि की सेवा देने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित की है। इस प्रकार, वह कुशलतापूर्वक अच्छे आचरण के साथ एक विनिर्दिष्ट अवधि (एक वर्ष) के लिए सेवा करने की संभावित स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार होता है। केवल इसलिए कि, शासकीय सेवक अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है, उसे उस वार्षिक वेतन वृद्धि से कैसे वंचित किया जा सकता है जो उसने पिछले एक वर्ष में अच्छे आचरण और कुशलतापूर्वक सेवा करने के लिए अर्जित की है और/या वह उसका हकदार है। **गोपाल सिंह**

(उपरोक्त) के मामले में कंडिका 20,23 और 24 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार प्रेक्षण दिया और अभिनिर्धारित किया-

(कंडिका 20)

" केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और वेतन वृद्धि का भुगतान एफ.आर., सीएसआर और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एफ.आर. 9 (21) में परिभाषित वेतन से वह राशि अभिप्रेत है जो एक केंद्रीय शासकीय सेवक द्वारा प्रतिमाह अर्जित की जाये और उसमें वेतन वृद्धि शामिल है। प्रवृत्त प्रावधानों का सामान्य एवं समग्र परिशीलन कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ता है कि एक शासकीय सेवक को वार्षिक वेतन वृद्धि उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए दी जाती है और वेतन और भत्ते भी पद से जुड़े होते है। सीएसआर के अनुच्छेद 43 में परिभाषित प्रगामी नियुक्ति से अभिप्रेत हैं एक ऐसी नियुक्ति जिसमें वेतन एक अधिकारी के अच्छे व्यवहार के अधीन प्रगामी है। इसका तात्पर्य वेतन में आवधिक वेतन वृद्धि द्वारा न्यूनतम से अधिकतम तक वृद्धि होती है। प्रगामी नियुक्ति के मामले में वेतन वृद्धि सीएसआर के अनुच्छेद 151 में विनिर्दिष्ट है, जिसका अर्थ है कि जिस दिन वेतन वृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन से प्रोदभूत होती है। संचयी रूप से लेने पर, योजना स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि केन्द्रीय शासकीय सेवक की नियुक्ति एक प्रगामी नियुक्ति है एवं वेतन में न्यूनतम से अधिकतम तक आवधिक वेतन वृद्धि, वेतन संरचना का भाग है। "सीएसआर का अनुच्छेद 151 यह प्रकट करता है कि जिस दिन वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन से प्रोदभूत होती है। वेतनवृद्धि कोई स्वाभाविक बात नहीं है बल्कि यह केन्द्रीय शासकीय सेवक के अच्छे आचरण पर निर्भर है। इसीलिए यह प्रकट होता है कि, वार्षिक वेतनवृद्धि के मामले में केन्द्रीय शासकीय सेवक विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात एक वर्ष के लिए अपने अच्छे आचरण के आधार पर वेतनवृद्धि अर्जित करता है। इस प्रकार वेतन वृद्धि प्रगामी नियुक्ति का एक अभिन्न अंग है और जिस दिन वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन से प्रोदभूत होती है।"

(कंडिका 23)

"यद्यपि वार्षिक वेतनवृद्धि पद से जुडी होती है और जिस दिन वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है उसके अगले दिन देय हो जाती है, लेकिन जिस दिन वेतनवृद्धि प्रोदभूत होती है या देय होती है वह निश्चायक या निर्धारक नहीं होता है। प्रगामी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली वैधानिक योजना में शासकीय सेवक द्वारा उसके अच्छे व्यवहार के अधीन एक वर्ष में दी गयी सेवाओं के लिए वेतनवृद्धि देय हो जाती है। एक केन्द्रीय शासकीय सेवक के वेतन में आवधिक वेतनवृद्धि द्वारा न्यूनतम से अधिकतम तक निर्धारित पैमाना के अनुसार वृद्धि होती है। इसलिए वेतन वृद्धि प्राप्त करने की पात्रता तब स्पष्ट हो जाती है शासकीय जब सेवक अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर लेता है और वेतनवृद्धि अगले दिन देय हो जाती हैा "

(कंडिका 24)

"पात्रता की दिनांक के अगले दिन का निर्धारण किए जाने के एकमात्र अतिरिक्त यह किसी उददेश्य की पूर्ति नहीं करता और कोई सुस्पष्ट अंतर नहीं है और न ही किसी उददेश्य की प्राप्ति करता है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय शासकीय सेवक ने पहले ही एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और वेतन वृद्धि अर्जित की गयी है बशर्ते उसका आचरण अच्छा हो।
इस प्रकार यह पूरी तरह मनमाना होगा यदि केन्द्रीय शासकीय सेवक द्वारा एक वर्ष के लिए उसके अच्छे आचरण के आधार पर अर्जित वेतनवृद्धि केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दी जाती है कि जब वेतनवृद्धि देय हुई तो वह नियोजन में नहीं था।"

"30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले किसी शासकीय सेवक के मामले में, जिस दिन वेतनवृद्धि देय होती है/ देय हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है और शासकीय सेवक को एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के कारण वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए ताकि योजना का इस तरह से अर्थ न लगाए जाए कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14

में निहित तर्कसंगतता की भावना को आहत करे। वेतनवृद्धि के भुगतान की योजना को समग्र रूप से पढ़ना होगा और सी.एस. आर. के अनुच्छेद 151 के एक भाग को अलग से नही पढ़ा जा सकता है जिससे दूसरा भाग विफल हो जाए, विशेष रूप से तब जब दूसरा भाग केन्द्रीय शासकीय सेवक को वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रगामी नियुक्ति की योजना बरकरार रहती है और शासकीय सेवक द्वारा अर्जित अधिकार सुरक्षित रहें और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण उन्हें वंचित न किया जाए"

6.6 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **नंद विजय सिंह (उपरोक्त)** के मामले में इसी इसी बिन्दु पर विचार करते हुए कंडिका 24 में निम्नानुसार संप्रेक्षित और अभिनिर्धारित किया है:-

24.विधि स्थापित है कि जहां किसी लाभ को प्राप्त करने की पात्रता विधि में स्पष्ट हो जाती है, उसका इनकार मनमाना होगा जब तक कि यह किसी वैध कारण के लिए न हो। इस योजना की वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित करने का एकमात्र कारण यह है कि केन्द्रीय शासकीय सेवक उस दिन पद पर नहीं है जब वेतन वृद्धि देय हुई है। यह वेतन वृद्धि से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकता क्योंकि वह उस तारीख के अगले दिन, जिस दिन वेतन वृद्धि अर्जित की जाती है, केवल अच्छे आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी करने को सुनिश्चित करने के उददेश्य को पूरा करता है और इसका कोई अन्य उददेश्य नहीं दिखता। जिस दिन वेतन वृद्धि अर्जित की जाती है, के अगले दिन की संकल्पना का कोई उददेश्य नहीं है। उददेश्य से अलग, यह पात्रता के अगले दिन को निर्धारण तिथि के रूप में तय करता है, इसमें और पात्रता की तारीख में कोई सुस्पष्ट अंतर नहीं है और न ही इसके द्वारा कोई उददेश्य प्राप्त किया जाना है। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वोले केंद्रीय शासकीय सेवक ने पहले ही सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है और वेतनवृद्धि अर्जित कर ली है, बशर्ते उसका आचरण अच्छा हो। इस प्रकार यह पूरी तरह से मनमाना होगा यदि केंद्रीय शासकीय सेवक द्वारा एक वर्ष के लिए उसके अच्छे आचरण के आधार पर अर्जित वेतनवृद्धि को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह उस दिन नौकरी में नहीं था जब वेतनवृद्धि देय हुई थी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले किसी शासकीय

सेवक के मामले में, जिस दिन वेतनवृद्धि देय होती है/देय हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है और शासकीय सेवक को एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के कारण वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए ताकि योजना का इस तरह से अर्थ न लगाया जाए कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित तर्कसंगतता की भावना को आहत करे। वेतनवृद्धि के भुगतान की योजना को समग्र रूप से पढ़ना होगा और सीएसआर के अनुच्छेद 151 के एक भाग को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है जिससे दूसरा भाग विफल हो जाए, विशेष रूप से तब जब दूसरा भाग केंद्रीय शासकीय सेवक को वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे यह सुनिश्चत होगा कि प्रगामी नियुक्त की योजना बरकरार रहती है, और शासकीय सेवक द्वारा अर्जित अधिकार सुरक्षित रहें और आकि -स्मक परिस्थितयों के कारण उन्हें वंचित न किया जाए।

6.7 ऐसा ही मत विभिन्न उच्च न्यायालयों, अर्थात गुजरात उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा भी व्यक्त किया गया है। जैसा कि ऊपर संप्रेक्षित किया गया है, विनियम के विनियम 40(1) का निर्वचन उस रूप में करना जैसा अपीलार्थीगण द्वारा समझा और/या निर्वचित किया गया है, एक शासकीय सेवक को वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ से, जो उसने पूर्व के वर्ष मे विनिर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण और कुशलता से सेवा के लिए अर्जित कर लिया है, वंचित करने वाला और मनमाना होगा। यह किसी व्यक्ति को बिना उसके किसी दोष के दंडित करने जैसा होगा। जैसा कि ऊपर संप्रेक्षित किया गया है, वेतनवृद्धि केवल दंड के माध्यम से या उसके कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न किये जाने पर रोकी जा सकती है। ऐसे किसी भी निर्वचन से बचना चाहिए जो मनमानेपन और/या अ-युक्तियुक्तता को बढ़ावा दे। यदि अपीलार्थीगण की ओर से सुझाई गई व्याख्या और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस स्थित में यह एक शासकीय सेवक को उसकी सेवाओं के लिए अर्जित वैध वार्षिक वेतन वृद्धि से, जो उसने अच्छे व्यवहार के चलते एक वर्ष से अधिक समय तक दी गई सेवाओं के लिए अर्जित की हो, वंचित करने के समान होगा। वेतन वृद्धि पास करने की पात्रता तब हो जाती है जब शासकीय सेवक अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित सेवा अवधि पूर्ण कर लेता है और अगले दिन देय हो जाती है। इस मामले

में प्रोदभूत शब्द को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ अगले दिन देय होने से होगा। कोई भी विपरीत दृष्टिकोण मनमानापन और/या अ-युक्तियुक्त को बढावा देगा और यह एक शासकीय सेवक को उसकी सेवाओ के लिए अर्जित वैध वार्षिक वेतनवृद्धि जो उसने अच्छे व्यवहार और कुशलता से एक वर्ष से अधिक समय तक दी गई सेवाओं के लिए अर्जित की है, से इन्कार करने के समान होगा, और इसीलिए ऐसी संकीर्ण व्याख्या से बचना चाहिए। हम **पी. अययमपेरूमल (उपरोक्त)** के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय; **गोपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय; **नंद विजय सिंह (उपरोक्त)** के मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय; **योगेन्द्र सिंह भदौरिया (उपरोक्त)** के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय; **अरूण कुमार विस्वाल, एएफआर (उपरोक्त)** के मामले में उडीसा उच्च न्यायालय; और **तख्त सिंह उदेसिंह सोनगरा (उपरोक्त)** के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हैं। हम **प्रिंसिपल अकांउटेंट जनरल, आंध्रप्रदेश (उपरोक्त)** के मामले मे **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय की पूर्ण पीठ द्वारा और भारत संघ बनाम पवित्रन (ओ.पी.(कैट) क्रमांक 111/2020 22.11.2022** को निर्णीत) के मामले में केरल उच्च न्यायालय और **हरिप्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (सिविल रिट याचिका क्रमांक 2503/2016 दिनांक 06.11.2020)** को निर्णीत के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त विपरीत दृष्टिकोण को अनुमोदित नहीं करते हैं।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताये गये कारणों से उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ताओं को अपनी सेवानिवृति के अंतिम दिन से एक वर्ष पूर्व तक अच्छे आचरण एवं कुशलता से की गई सेवाओं के लिए अर्जित एक वार्षिक वेतनवृद्धि देने का उचित ही निर्देश अपीलार्थीगण को दिया गया है। हम उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा दिए गये अभिमत से पूर्ण रूप से सहमत हैं। इन परिस्थितियों में, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। हालॉकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। आई.ए. क्रमांक 149091/2022 उपरोक्तानुसार विनिश्चित की जाती है।

अपील खारिज की जाती है।

अनुवादक द्वारा

आशीष कुमार मिश्रा